न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 289/2018 दायरा दिनांकः– 11.10.2018

शान्तिदेवी पुत्री भागा पत्नी मुख्तयाररसिंह जाति बावरी निवासी चक 7 एस.टी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

.....रेस्पोण्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री बाबुलाल चाण्डक, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 23.11.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 04.09.2018 के द्वारा पत्रावली संख्या 4/18 में वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज न कर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होंने पर दर्ज रजिस्टर की गई व अदालत मातहत से रिकार्ड तलब किया गया व पैरोकार को पैरवी हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने अपील मीमो में लिखा हैं कि अपीलान्ट के पिता भागा पुत्र सुन्दर के नाम चक 5 एस.टी.बी.(बी) में पत्थर नम्बर 225/379 में 24.10 बीघा भूमि कमाण्ड अनकमाण्ड 1955 से पूर्व की दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी जिसका निर्णय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा जरिये पत्रावली संख्या 14/04 भागाराम बनाम सरकार दिनांक 11.04.2007 को किया गया हैं जिसमें भागाराम को सन् 1955 से पूर्व का काश्तकार मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए(3क) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पात्र घोषित किया गया था जिसके बाद खातेदारी अधिकार कर्मचारियों द्वारा जारी किये जाने थे उसमें अपीलान्ट के पिता का कोई दोष नहीं था।

अपीलान्ट का पिता भागाराम अपीलान्ट के साथ ही रहता था चूंकि उनके कोई जाइन्दा पुत्र नहीं था इसलिए उसने अपीलान्ट की सेवा चाकरी से खुश होकर अपने नाम व कब्जा काश्त की भूमि की वसीयत राजी खुशी रोबरू गवाहान दिनांक 17.02.2009 करवा कर नोटेरी एडवोकेट से तस्दीक करवा दी थी व भूमि का कब्जा भी अपीलान्ट/प्रार्थी को दे दिया था तब से आज तक कब्जा काश्त अपीलान्ट का चला आ रहा हैं। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 21.08.2013 को हो जाने पर अपीलान्ट ने मुताबिक वसीयत रकबा का

अशोक कुमार
23/11/20
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने बाबत तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई दिनांक 04.09.2018 को गैरकानूनी रूप से निरस्त कर दिया गया जो बदलने लायक हैं।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वसीयत करने की दिनांक से पूर्व ही अपीलान्ट के पिता वसीयतकर्ता को जैरप्रकरण रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पात्र घोषित कर दिया गया था व उसके बाद ही वसीयत करवाई गई थी व खातेदारी अधिकार भी दिनांक 18.03.2015 को जारी हो चुके थे। अपीलान्ट उनकी एक मात्र पुत्री होने के नाते प्रथम श्रेणी की जायज वारिस भी हैं, इसलिए भी वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज न करके अदालत मातहत ने कानूनी भूल की हैं। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पार्ट 1 पेज 62 का न्यायिक निर्णय भी प्रस्तुत किया व वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने की बहस की।

विद्वान पैरोकार राज ने अपनी बहस में तहसीलदार श्रीविजयनगर के निर्णय को उचित ठहराते हुए बताया कि वसीयत किये जाने वाले दिन रकबा गैर खातेदारी में दर्ज था व भागाराम के एक पंजीबद्ध खोला के खोलायत पुत्र का वाद अभी चल रहा है, इसलिए भूमि पर विवाद होने की वजह से वसीयत के आधार पर इन्तकाल न करके जैरअपील फैसला सही किया गया है व अपील निरस्त की जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का गहनता से अध्ययन व मनन करने पर यह सही हैं कि वसीयत करने से पूर्व वसीयत वाली भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा पात्र घोषित कर दिया गया था। खातेदारी अधिकार जारी करना कर्मचारियों की कार्यवाही थी अधिकार पत्र जारी नहीं होने पर भी निर्णय अनुसार भागाराम जैरअपील भूमि का कानूनी रूप से खातेदार हो गया था चूंकि रकबा सन् 1955 से पूर्व का हैं जहां तक भागाराम के खोलायत पुत्र होने का प्रश्न है वह प्रकरण उचित अदालत में जैरकार होना बताया हैं जिस दिन अदालत से जो भी निर्णय होगा उसके तहत रिकार्ड में कार्यवाही करने से वसीयत के आधार पर किया गया इन्तकाल बाधक नहीं होगा। इन्तकाल किसी के अधिकारों की घोषणा नहीं करता। यह तो एक फिसकल इन्ट्री हैं। गवाहों ने अपने बयानो से वसीयत होना साबित किया हैं। मृतक स्वंय ने वसीयत अपनी पुत्री के नाम करवाई थी जो प्रथम श्रेणी की वारिस हैं किसी भी रिकार्डेड काश्तकार के स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके अधिकार हवा में नहीं रहते है वरन् उचित पात्रता रखने वाले व्यक्ति के नाम दर्ज होने चाहिए। जहां तक गोदनामे का प्रश्न हैं वह सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्णीत किया जाना हैं। इन्तकाल की कार्यवाही में उसका निस्तारण नहीं किया जाना हैं।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का ध्यान से अध्ययन करने व उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक व पैरोकार राज की बहस पर मनन करने पर यह तथ्य उभर कर आया हैं कि रकबा सन् 1955 से पूर्व का हैं। वसीयत से पूर्व खातेदारी अधिकार पाने का पात्र घोषित कर दिया गया था व वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र के निर्णय करने से पूर्व खातेदारी अधिकार जारी हो चुके थे। जिन पर अदालत मातहत ने कानूनी समीक्षा की जानी प्रतीत नहीं होती हैं जहां तक खोलानामा का बिन्दु है, सक्षम अदालत से जो भी निर्णय होगा वह वसीयत के आधार पर कोई भी निर्णय कर दिये जाने के बाद भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

लागू होगा। इस निर्णय से अपर अदालत के निर्णय का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा व अपर अदालत का निर्णय ही मान्य होगा परन्तु खोलानामा का निर्णय आने तक एक मृतक के नाम की भूमि रखना उचित नहीं हैं उसमें रकम राज वसूलने व अन्य कई प्रकार की कानूनी कठिनाईया व मौजूदा कब्जा काश्त व रिकार्ड के संधारण में कानूनी पेचीदगीयां पैदा होता हैं। इसलिए तहसीलदार श्रीविजयनगर के जैरअपील आदेश को निरस्त कर प्रकरण को पुनः कानूनी बिन्दुओं पर विचार कर रिमाण्ड करना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए जैरअपील फैसला दिनांक 04.09.2018 को निरस्त कर व प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर हुए निर्देश दिया जाता हैं कि उपरवर्णित कानूनी बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में वसीयत का कानूनी रूप से परिक्षण करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/11/2020

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त कलक्टर,सूरतगढ़,
जिला श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner